न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा जिला डुंगरपूर

पीठासीन अधिकारी – सोनू कुमार गुर्जर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 08/2024 दायर दिनांक:– 08.08.2024

1 प्रेमलता पिता लक्ष्मण मास्टी निवासी चाडोली तहसील सीमलवाड़ा जिला डुंगरपुर राजस्थान

—अपीलांट

बनाम

1 हुरज पत्नि लक्ष्मण मास्टी
2 आशा पिता लक्ष्मण मास्टी
3 नीता पिता लक्ष्मण मास्टी
4 रमेश पिता लक्ष्मण मास्टी
5 शकुन्तला पिता लक्ष्मण मास्टी
निवासीयान चाडोली तहसील सीमलवाड़ा जिला डुंगरपुर राजस्थान
6 भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला डुंगरपुर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्टगन

अपील बनाराजनी मौजा चाडोली नामान्तरकरण संख्या 738
दिनांक 02–08–1998को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करने
अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री कलेश मास्टी अपीलान्ट की ओर से।
श्री कर्तव्य शाह रेस्पोडेन्टगण की ओर से।

निर्णय दिनांक : 25.06.2025

प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार हैकि यह कि अपीलान्टव रेस्पोडेन्टगन मुलपुरुष लक्ष्मण के विधिक वारिसान होकर गांव चाडोली के स्थायी निवासी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 6 उक्त अपील में आवश्यक पक्षकार है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजी मौजा चाडोली में नया खाता संख्या 417, पुराना खाता संख्या 308, खसरा नम्बर 4696, 4728, 4730, 4763, 4766, 4914, 4915, 4917, 4918, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4930, 4931, 4932, 935 खेत किता 19 कुल रकबा 1.4874 हैक्टेयर में हिस्सा होकर स्थित है। जो पैतृक भुमि होकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टगण के मुलपुरुष पूर्वज लक्ष्मण के हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड थी। जिनके विधिक वारिसानों का परिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

लक्ष्मण मुलपुरुष (फोत)

आशा	नीता	रमेश	शकुन्तला	प्रेमलता	हुरज
पुत्री	पुत्री	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

अपील कारण आज से 20 दिन पूर्व अपीलान्ट ने अपने संयुक्त कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 2 में अंकित अपीलग्रस्त आराजी में पीएम किसान सम्मान योजना अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने लेकर हाल जमाबंदी की नकल निकलवाई तो पता चला कि अपीलांट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। जिस पर अपीलांट ने पिता स्व.लक्ष्मण के फोत होने पर खोले गए नामान्तरण की नकल निकलवाई तो पता चला की अपीलांट के पिता स्व. लक्ष्मण के फोत होने पर खोले गए नामान्तरण की नकल में राजस्व कर्मचारीयो व सरपंच ने लापरवाही पुर्वक अपीलान्ट के पिता लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरणकरण में हुकी पिता लक्ष्मण नाम दर्ज कर दी है तथा ग्राम पंचायत ने विधिक वारिसानों की बिना जांच किये उक्त नामान्तरणकरण को विधिक वारिसान होना तस्दिक कर दिया जबकि अपीलान्ट ही लक्ष्मण के विधिक वारीसान है। ऐसे में लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात खोले गये नामान्तरणकरण में विधि एवं नियमानुसार अपीलाण्ट का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक था लेकिन राजस्व कर्मचारीयों ने लापरवाही बरतकर नामान्तरणकरण में दर्ज नहीं कर अपीलाण्ट के साथ लापरवाही बरती गई है। अपीलान्ट ने पिता के फोत होने के पश्चात अपीलांट विधिक वारिसान होने से राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए कहा गया तो राजस्व कर्मचारीयो ने अपीलान्ट का नाम दर्ज करने से मना कर दिया। जबकि गांव चाडोली में हुकी पिता लक्ष्मण नाम की कोई महिला ही नहीं है। उसके बावजुद गलत नामान्तरण दर्ज कर दिया गया है। अपीलांट ने खाता दुरूस्त कर नाम जोडने की बात करने पर राजस्व अधिकारी ने इंकार कर दिया ऐसे में नामान्तरणकरण खोलने की जानकारी होने की म्याद अवधि मे अपील श्रीमान आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी पुखता जांच किए कॉलम संख्या 2 में अंकित भुमि के खोले गये नामान्तरणकरण में जांच परख किए बिना ही लक्ष्मण के विधिक वारिसान प्रेमलता होने के बावजुद भी अपीलांट को छोडकर हुकी के नाम गलत नामान्तरण दर्ज कर प्रमाणित किया गया। ऐसे में उक्त नामान्तरण को खारिज कर शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा मौजा चाडोली में नया खाता संख्या 417, पुराना खाता संख्या 308, खसरा नम्बर 4698, 4728, 4730, 4763, 4766, 4914, 4915, 4917, 4918, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4930, 4931, 4932, 935 खेत किता 19 कुल रकबा 1.4974 हैक्टेयर में हिस्सा भुमी में अपीलान्ट के नाम नामान्तरण खोला जाना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण को तस्दीक कर प्रमाणित करने से अपील श्री मान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। भू–अभिलेख नियमावली की धारा 120 के अनुसार ग्राम पंचायत का कर्तव्य था कि वह नामान्तरणकरण खोले जाते समय अपीलांट की उपस्थिति में उसका पक्ष को सुनकर विधिक वारिसानो व रेकोर्ड के बारे पुर्ण जानकरी रखकर नामान्तरण तस्दीक किया जाना था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जो साबित करता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अविधिक निर्णय पारित किया है जिससे उपरोक्त नामान्तरण को शुन्य एवं प्रभावहीन

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

घोषित किया जाना आवश्यक है। अपीलांट विधिक वारिसान है। ऐसे में अपीलांट के नाम नामान्तरण दर्ज किया जावे।

अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने पर न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर करने वहीं अपीलांट द्वारा रेस्पोडेण्टगण को अपील न्यायालय में प्रस्तुत करने की जानकारी देने पर रेस्पोडेण्टगण ने अधिवक्ता श्री कर्तव्य शाह के साथ उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट प्रेमलता पिता लक्ष्मण के नाम उसके हिस्से अनुसार जोडने को लेकर सहमति व्यक्त की गई तथा हुकी पिता लक्ष्मण का नाम हटाने निवेदन किया गया। इस बाबत् रेस्पोंडेंगण द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत चाडोली द्वारा जारी पीढीनामा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि नामान्तरण को अपास्त कर मौजा चाडोली के खाता संख्या 417, पुराना खाता संख्या 308, खसरा नम्बर 4698, 4728, 4730, 4763, 4766, 4914, 4915, 4917, 4918, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4930, 4931, 4932, 935 खेत किता 19 कुल रकबा 1.4974 हैक्टेयर में हिस्सा में रेस्पोडेण्टडगण के साथ रिकॉर्ड में दर्ज हुकी पिता लक्ष्मण को हटाया जाकर अपीलांट प्रेमलता पिता लक्ष्मण के नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरणकरण दर्ज करने बहस की गई है। वकील रेस्पोंडेंटगण ने बहस के दौरान अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अनुसार हुकी पिता लक्ष्मण का नाम हटाया जाकर अपीलांट प्रेमलता पिता लक्ष्मण के नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरणकरण दर्ज किया जावे।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में शामिल साक्ष्य व दस्तावेजों एवं ग्राम पंचायत चाडोली द्वारा जारी पीढीनामा प्रमाण–पत्र का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि नामान्तरणकरण को अपास्त कर, मौजा चाडोली में नया खाता संख्या 417, पुराना खाता संख्या 308, खसरा नम्बर 4698, 4728, 4730, 4763, 4766, 4914, 4915, 4917, 4918, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4930, 4931, 4932, 935 खेत किता 19 कुल रकबा 1.4974 हैक्टेयर में हिस्सा भुमि में रेस्पोडेण्टगण के साथ नियमानुसार लक्ष्मण के विधिक वारिसान अपीलान्ट प्रेमलता पिता लक्ष्मण होने से हुकी पिता लक्ष्मण नाम हटाया जाकर अपीलांट प्रेमलता पिता लक्ष्मण के नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज किया जाना उचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरणकरण को अपास्त कर, मौजा चाडोली में नया खाता संख्या 417, पुराना खाता संख्या 308, खसरा नम्बर 4698, 4728, 4730, 4763, 4766, 4914, 4915, 4917, 4918, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4930, 4931, 4932, 935 खेत किता 19 कुल रकबा 1.4974 हैक्टेयर में हिस्सा भुमि में रेस्पोडेण्टगण के साथ नियमानुसार लक्ष्मण के विधिक वारिसान अपीलान्ट प्रेमलता पिता लक्ष्मण होने से हुकी पिता लक्ष्मण का नाम हटाया जाकर अपीलांट प्रेमलता पिता लक्ष्मण का नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज किये जाने आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सीमलवाडा आदेशानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रेषित करें।

(सोनू कुमार गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner